न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 50/2022 जिला दौसा

1. लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण पुत्र श्रवण
2. नन्दलाल पुत्र गोविन्दा
3. कजोड पुत्र छोटू
4. सोमनाथ पुत्र छोटू
5. कालूराम पुत्र गोविन्दा
6. मूलचन्द पुत्र गोविन्दा
7. प्रकाश पुत्र सांवलराम
8. मुकेश पुत्र कजोडमल
9. मनीष पुत्र कजोडमल
10. मोती पुत्र नन्दलाल
11. जगदीश पुत्र रामनाथ
12. बाबू पुत्र रामनाथ
13. राजेश पुत्र लक्षमण
14. कैलाश पुत्र लक्षमण
15. महेश पुत्र लक्षमण
16. राजन्ती पत्नि लक्षमण
17. गोविन्दी पत्नि रामनाथ
18. मन्नी देवी पत्नि मूलचन्द
19. केशन्ता देवी पत्नि कजोड

समस्त जाति मीना निवासी ढाणी कुईवाली ग्राम रालावास तह0 राहूवास जिला दौसा।

–अपीलान्टस

बनाम

1. गौरा पत्नि स्व0 गंगाधर
2. छीतरमल पुत्र स्व0 गंगाधर
3. पप्पूराम पुत्र स्व0 गंगाधर
4. रामकेश पुत्र स्व0 गंगाधर
5. भरतलाल पुत्र स्व0 गंगाधर
6. सीताराम पुत्र स्व0 गंगाधर

समस्त जाति मीना निवासी ग्राम पीपली पातलवास तहसील राहूवास जिला दौसा।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राहूवास तहसील राहूवास जिला दौसा।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा दिनांक 14.05.2022 प्रकरण उनवानी गौरा आदि बनाम राज0 सरकार अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थित–

1. श्री उमेश गौड वकील अपीलान्ट।
2. श्री हरिप्रसाद जांगिड रेस्पोडेन्ट नं. 1 से 6 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

दिनांक –18.07.2023

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा के निर्णय दिनांक 14.05.2022 के खिलाफ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है ।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रालावास तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नं. 336/289 रकबा 6 बीघा कुल रकबा 6 बीघा के खातेदार व काश्तकार रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 6 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत् पेश कर सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाये जाने के निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.05.2022 को तहसीलदार राहूवास की रिपोर्ट के आधार पर सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 14.05.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट श्री लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण पुत्र श्रवण द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा दिनांक 14.05.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं व राजकीय अधिवक्त की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम रालावास तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नं. 336/289 रकबा 6 बीघा कुल रकबा 6 बीघा के खातेदार व काश्तकार रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 6 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत् जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उसमें स्वयं ने माना है कि भूमि पर अतिक्रमण व विवाद है फिर भी अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं ना ही उक्त विवादित भूमि का पूर्व में चिन्हीकरण व सीमाज्ञान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्व में ही एक नियमित वाद विचाराधीन है, जिसका निस्तारण नहीं किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व से प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमा रखी है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन सभी तथ्यों पर गौर किये बिना ही लोक अदालत में अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही सीमाज्ञान व पत्थरगढी के एक ही आदेश पारित कर दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा दिनांक 14.05.2022 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम राहूवास में स्थित उक्त भूमि में प्रार्थीगण रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 6 रिकॉर्डेड खातेदार व काश्तकार हैं एवं काबिज हैं। प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाना चाहता है। जिस बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अपीलांट्स न तो सहखातेदार हैं ना ही काबिज हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय का

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
दौसा

Scanned with OKEN Scanner

पत्थरगढी आदेश दिनांक 14.05.2022 से पूर्व कोई स्थगन आदेश नहीं है। रेस्पोडेण्ट ने नियमानुसार ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी खातेदारी भूमि की ही पत्थरगढी करवाने हेतु निवेदन किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार व पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार ही पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया है। अपीलांट ने बेदखल करने एवं सींव को खुर्द बुर्द करने की नियत से श्रीमान के समक्ष अपील प्रस्तुत की है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् रूप से तहसीलदार राहूवास की रिपोर्ट अनुसार ही पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये गये हैं, जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी गौरा पत्नि स्व0 गंगाधर द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नं. 336/289 की पत्थरगढी करवाने हेतु आवेदन किए जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 14.05.2022 के द्वारा कैम्प शिविर में सीमाज्ञान व पत्थरगढी करने का एक ही आदेश दिया गया है। जिससे स्पष्ट है कि पत्थरगढी से पूर्व सीमाज्ञान नहीं किया गया है। अपीलांट्स उक्त विवादित भूमि में समीपस्थ पक्षकारान् हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर दोनों पक्षों को सुनकर सीमाज्ञान मुताबिक पत्थरगढी करने का आदेश दिया जाना चाहिए था। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा का निर्णय दिनांक 14.05.2022 निरस्त किया जाता है। तथा अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षों को सुनकर पुनः विधिसम्वत् निर्णय पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/7/23

(असलम शेर खान)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner